रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1053] नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2014/वैशाख 24, 1936
No. 1053] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2014/VAISAKHA 24, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2014

का.आ. 1272(अ).—लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् एलटीटीई कहा गया है) श्रीलंका में आधारित एक संगम है किंतु जिसके समर्थक, सहानुभूति रखने वाले और अभिकर्ता भारत राज्य क्षेत्र में भी हैं;

और एलटीटीई का उद्देश्य सभी तमिलों के लिए पृथक् गृहभूमि (तमिल ईलम) भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है और संघ से भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अध्यपर्ण और विलग हो जाने के समान है तथा इसलिए विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है;

और एलटीटीई ने, श्रीलंका में मई, 2009 में अपनी सैनिक हार के पश्चात् भी 'ईलम' की संकल्पना का परित्याग नहीं किया है और 'ईलम' के लिए छिपे तौर पर निधियों को उगाहने और प्रचार क्रियाकलापों में लगा हुआ है । शेष एलटीटीई नेताओं या काडरों ने छिन्न-भिन्न क्रियाकलापों को पुनः समूहबद्ध करने तथा इकाई का स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं;

और पृथकतावादी तमिल उग्रराष्ट्रवादी समूहों और एलटीटीई समर्थक समूह पृथकतावादी प्रवृत्ति को जनता के मध्य प्रोत्साहित करने में लगे हैं तथा भारत में और विशिष्टतया तमिलनाडु में, एलटीटीई के समर्थन आधार को बढ़ा रहे हैं;

और एलटीटीई, एलटीटीई समर्थक घटकों और उग्रराष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन मामला, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अंतिम अधिसूचना सं. का.आ. - 1062 (अ) तारीख 14 मई, 2012 से अर्थात् मई, 2012 और अप्रैल, 2014 के मध्य विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के अलावा रजिस्ट्रीकृत किया गया था;

और प्रवासी, एलटीटीई की हार के लिए भारत सरकार को उत्तरदायी मानते हुए श्रीलंका के तमिलों के मध्य भारत विरोधी भावनाओं को इंटरनेट पोर्टल में लेखों के माध्यम से फैलाना जारी रखे हुए हैं । इंटरनेट के माध्यम से ऐसे प्रचार से, भारत में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है;

और उपरोक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एलटीटीई एक विधि विरुद्ध संगम है और सभी संभव साधनों द्वारा सभी ऐसे पृथकतावादी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि—

एलटीटीई के शेष काडर, सहानुभूति रखने वालों, समर्थकों के क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि उक्त काडर अंतिम रूप से विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों के लिए उपयोग किए जाएंगे;

) भारत सरकार की जानकारी में यह आया है कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद भी एलटीटीई समर्थक संगठन और व्यक्ति एलटीटीई को उनका समर्थन देने में प्रयासरत हैं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एलटीटीई के उपर्युक्त क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता के साथ ही साथ लोक शांति के लिए भी खतरा है और इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से 'विधि-विरुद्ध संगम' घोषित किया जाना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) को एक विधि-विरुद्ध संगम के रूप में घोषित करती है और यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रभावी होगी ।

[फा. सं. आई-11034/1/2014-आईएस-I]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2014

S.O. 1272(E).—Whereas, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as the LTTE), is an association based in Sri Lanka but having its supporters, sympathisers and agents in the territory of India;

And whereas, the LTTE's objective for a separate homeland (Tamil Eelam) for all Tamils threatens the sovereignty and territorial integrity of India, and amounts to cession and secession of a part of the territory of India from the Union and thus falls within the ambit of unlawful activities;

And whereas, the LTTE, even after its military defeat in May, 2009 in Sri Lanka, has not abandoned the concept of 'Eelam' and has been clandestinely working towards the 'Eelam' cause by undertaking fund raising and propaganda activities. The remnant LTTE leaders or cadres have also initiated efforts to regroup the scattered activists and resurrect the outfit locally and internationally;

And whereas, the separatist Tamil chauvinist groups and pro-LTTE groups continue to foster a separatist tendency amongst the masses and enhance the support base for LTTE in India and particularly in Tamil Nadu;

And whereas, a case was registered under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, against LTTE, pro-LTTE elements and chauvinist groups since the last notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide number S.O.1062(E), dated the 14th May, 2012, that is between May, 2012 and April, 2014. Besides, cases were registered under the provisions of Explosive Substances Act, 1908 and Indian Penal Code;

And whereas, the Diaspora continue to spread through articles in the Internet portals, anti-India feeling amongst the Sri Lankan Tamils by holding the Government of India responsible for the defeat of the LTTE. Such propaganda through the Internet, is likely to impact VVIP security adversely in India;

And whereas, for the reasons aforesaid, the Central Government is of the opinion that the LTTE is an 'unlawful association' and there is a need to control all such separatist activities by all possible means;

And whereas, the Central Government has the information that –

(i) the activities of the LTTE remnant cadres, sympathisers, supporters in the State of Tamil Nadu suggest that the cadres would ultimately be utilised by the LTTE for unlawful activities;

(ii) it has come to notice of the Government of India that despite the ban in force, attempts have been made by pro-LTTE organisations and individuals to extend their support to the LTTE;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE pose a threat to the public order as well as the sovereignty and territorial integrity of India and, therefore, it should be declared as an 'unlawful association' with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and the proviso to sub-section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (the LTTE) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect on and from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.I-11034/1/2014-IS-I]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.